न्यायालयः-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - आशीष मीना, आर.जे.एस.

नि.फौ.प्रकरण संख्या - 453/2018

राजस्थान राज्य, जरिए अभियोजन अधिकारी, अकलेरा, जिला-झालावाड़ (राज.)

अभियोगी....

बनाम

गोवर्धन पुत्र दुलीचंद, निवासी-चुरेलिया, थाना घाटोली जिला झालावाड़

अभियुक्त....

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितः-

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री योगेन्द्र सोनी, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

निर्णय दिनांकः- 13-03-2026

01- थानाधिकारी पुलिस थाना अकलेरा की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी यह आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 304ए का अपराध कारित किए जाने का अभियोग लगाते हुए अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28-06-2018 को पेश किया गया।

02- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07-05-2018 को फरियादी रामप्रताप ने सीएचसी अकलेरा में एक तहरीरी इस आशय की पेश की कि दिनांक 06.05.2018 को शाम के समय उसका लड़का दिलीप उम्र करीब 17 वर्ष उसके रिश्तेदार धन्ना निवासी कटफला की लड़की की शादी में जाने के लिए उसके गांव के किरण कालबेलिया व जितेन्द्र बैरवा के साथ मोटरसाईकिल से कटफला गए थे। गई रात 1.30 एएम- 2 एएम के करीब फोन पर जानकारी हुई कि छापी कॉलोनी अकलेरा के सामने आम रोड़ पर तुम्हारे लड़के दिलीप का मेटाडोर से एक्सीडेंट हो गया है। इतने में ही किरण कालबेलिया गांव में आया और बताया कि कटफला शादी में जीमकर रात एक बजे करीब उसकी मोटरसाईकिल नं. आर.जे 17 एस.आर 1434 से वह व दिलीप बैरवा उनके गांव बंदाजागीर के लिए रवाना हुए। 1.15 बजे करीब छापी कॉलोनी के सामने आम रोड़ पर अपनी साईड से आ रहा था कि उसी समय पीछे से एक मेटाडोर का ड्राईवर मेटाडोर को तेज गति व गफलत लापरवाही से चलाकर पीछे से उसकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे उसके पीछे बैठे हुए दिलीप के सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। मौके पर वहीं रोड़ पर गिर पड़ा। मेटाडोर के नंबर आर.जे 17 जी.ए 2648 है, ये उक्त जानकारी होने पर वह व उसके लड़के रामपाल, मुकेश अकलेरा पहुंचे व मौके पर पहुंचे, खून पड़ा हुआ था। लड़के के बारे में जानकारी की गई तो सफाखाना अकलेरा में होना ज्ञात हुआ। इस पर सफखाना अकलेरा पहुचां, उसके लड़के के सिर में पीछे व बांयी तरफ खून आलोदा गहरी चोटें नाक कान से खून निकला हुआ है जिसकी घटना के बाद ही मौत होना ज्ञात हुआ है।,इत्यादि।

03- उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना अकलेरा पर मुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 122/2018, अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया

गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसपर न्यायालय द्वारा इन्हीं धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करने के आदेश दिए गए।

04- अभियुक्त को धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

05- अभियोजन पक्ष ने अपनी अभियोजन कहानी के समर्थन में पी.डब्ल्यू. 01 डॉ. सत्येन्द्र सिंह, पी.डब्ल्यू. 02 घासीलाल, पी.डब्ल्यू. 03 रामप्रताप, पी.डब्ल्यू. 04 राकेश, पी.डब्ल्यू. 05 जसकरण सिंह को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श पी. 1 लगायत पी. 6 तक दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए।

06- साक्ष्य अभियोजन बन्द की गई तथा अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

07- बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

08- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज़ी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

09- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी भी गवाह ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि वक़्त दुर्घटना, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक कौन था। साथ ही प्रकरण में अभियोजन की ओर से दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के स्वामी को भी न्यायालय के समक्ष पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जाए।

10- बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु निम्न है, कि-

(1). आया अभियुक्त ने दिनांक 06-05-2018 को मौजा छापी कॉलोनी के सामने आम रोड़ पर वाहन मेटाडोर नं. आर.जे 17 जी.ए 2648 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर पीछे से फरियादी के पुत्र दिलीप की मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 17 एस.आर. 1434 के टक्कर मारी, जिससे मोटरसाईकिल पर सवार उसके लड़के दिलीप की मृत्यु कारित हो गई। इस प्रकार क्या अभियुक्त ने धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के तहत् दण्डनीय अपराध कारित किया?

(2). यदि हाँ, तो दोषी होने पर दण्ड की मात्रा कितनी हो?

11- उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का सुक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। हस्तगत प्रकरण फरियादी रामप्रताप द्वारा पेश तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 04 पर आधारित है, जिसमें उसने अंकित किया है कि दिनांक 06.05.2018 को शाम के समय उसका लड़का दिलीप उम्र करीब 17 वर्ष उसके रिश्तेदार धन्ना निवासी कटफला की लड़की की शादी में जाने के लिए उसके गांव के किरण कालबेलिया व जितेन्द्र बैरवा के साथ मोटरसाईकिल से कटफला गए थे। गई रात 1.30 एएम- 2 एएम के करीब फोन पर जानकारी हुई कि छापी कॉलोनी अकलेरा के सामने आम रोड़ पर तुम्हारे लड़के दिलीप का मेटाडोर से एक्सीडेंट हो गया है। इतने में ही किरण कालबेलिया गांव में आया और बताया कि कटफला शादी में जीमकर रात एक बजे करीब उसकी मोटरसाईकिल नं. आर.जे 17 एस.आर 1434 से वह व दिलीप बैरवा उनके गांव बंदाजागीर के लिए रवाना हुए। 1.15 बजे करीब छापी कॉलोनी के सामने आम रोड़ पर अपनी साईड से आ रहा था कि उसी समय पीछे से एक मेटाडोर का ड्राईवर मेटाडोर को तेज गति व गफलत लापरवाही से चलाकर पीछे से उसकी मोटरसाईकिल के टक्कर मार दी जिससे उसके पीछे बैठे हुए दिलीप के सिर में चोट लग गई और खून बहने लगा। मौके पर वहीं रोड़ पर गिर पड़ा। मेटाडोर के नंबर आर.जे 17 जी.ए 2648 है, ये उक्त जानकारी होने पर वह व उसके लड़के रामपाल, मुकेश अकलेरा पहुंचे व मौके पर पहुंचे, खून पड़ा हुआ था। लड़के के बारे में जानकारी की गई तो सफाखाना अकलेरा में होना ज्ञात हुआ। इस पर सफखाना अकलेरा पहुचां, उसके लड़के के सिर में पीछे व बांयी तरफ खून आलोदा गहरी चोटें नाक कान से खून निकला हुआ है जिसकी घटना के बाद ही मौत होना ज्ञात हुआ है।, इत्यादि।

12- प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल 5 गवाह परीक्षित करवाए गए है जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण गवाह फरियादी रामप्रताप न्यायालय में पी.डब्ल्यू. 03 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 04 की ताईद की है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि मोटरसाईकिल कालबेलिया की थी। उसके नंबर याद नहीं है। वह मौके पर नहीं था। मोटरसाईकिल कालबेलिया चला रहा था। उसके लड़के को मोटरसाईकिल चलाना नहीं आता। उक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि कालबेलिया शराब पीता था जो मोटरसाईकिल चला रहा था। कालबेलिया ने शादी में शराब पी थी। कालबेलिया की गलती से एक्सीडेंट हुआ था।

13- गवाह पी.डब्ल्यू. 01 डॉ. सत्येन्द्र सिंह है जिसके द्वारा प्रकरण में थाना अकलेरा के प्रतिवेदन पर मृतक दिलीप के शव का पोस्टमार्टम किया गया था। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि बलपूर्वक सख्त धरातल पर यदि कोई व्यक्ति गिर जाए तो प्रदर्श पी. 01 में वर्णित सभी चोटें आना संभव है।

14- गवाह पी.डब्ल्यू. 02 घासीलाल है जो मृतक की लाश का पंचनामा प्रदर्श पी. 02 व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी. 03 का गवाह है। गवाह पी.डब्ल्यू. 04 राकेश बैरागी व पी.डब्ल्यू. 05 लालचंद है जो कि फर्द जप्ती पिकअप गाड़ी आर.जे 17 जी.ए 2468 प्रदर्श पी. 06 का गवाह है। जिरह में उक्त गवाह ने अभिकथित किया है कि फर्द जप्ती उन्हें पढ़कर नहीं सुनाई थी उनके तो खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे।

15- इस प्रकार फरियादी सहित किसी भी गवाहान ने इस बाबत कोई कथन नहीं किया है कि वक्त घटना टक्कर मारने वाले वाहन का चालक कौन था तथा उसे कौन चला रहा था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 04 में टक्कर मारने वाले चालक के बारे में फरियादी द्वारा कोई कथन नहीं किया है। स्वयं फरियादी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है। फर्द जप्ती के गवाहान ने भी स्वीकार किया है कि उनके फर्द जप्ती पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे। प्रकरण में किसी भी गवाहान की साक्ष्य से मुल्जिम द्वारा अपराध कारित किया जाना साबित नहीं हो पाया है।

16- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के सुक्ष्म विश्लेषण व उपरोक्त विवेचन से अभियोजन पक्ष इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 06-05-2018 को मौजा छापी कॉलोनी के सामने आम रोड़ पर वाहन मेटाडोर नं. आर.जे 17 जी.ए 2648 को तेज गति, गफलत व लापरवाही से चलाकर पीछे से फरियादी के पुत्र दिलीप की मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 17 एस.आर. 1434 के टक्कर मारी, जिससे मोटरसाईकिल पर सवार उसके लड़के दिलीप की मृत्यु कारित हो गई। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध धारा 279, 304ए भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

17- अतः अभियुक्त गोवर्धन पुत्र दुलीचंद, निवासी-चुरेलिया, थाना घाटोली जिला झालावाड़ को धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत पूर्व के जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीज़न निरस्त समझे जाए।

18- अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437 'क' दं.प्र.सं. के तहत् 10,000/- की राशि का स्वयं का मुचलका व इसी कदर राशि की एक जमानत न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करावे, जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

19- निर्णय आज दिनांक 13-03-2026 को खुले न्यायालय में मुझ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा सुनाया जाकर लिखाया गया।

(आशीष मीना)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अकलेरा,जिला-झालावाड़(राज.)

प्रमाण-पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

Steno Gr. III
"Authenticate Document"

RAJARAM MEENA

Digitally signed by RAJARAM MEENA
Date: 2026.03.13 04:38:54 +0530

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।